2026 का विधेयक संख्यांक 128

[दि सुप्रीम कोर्ट (नंबर आफ जजेस) अमेंडमेंट बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम,1956
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह 16 मई, 2026 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में, "तैंतीस" शब्द के स्थान पर "सैंतीस" शब्द रखा जाएगा । 1956 का 55

निरसन तथा व्यावृति ।

3. (1) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 का निरसन किया जाता है । 2026 का अध्यादेश सं. 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या हुई समझी जाएगी । 5 1956 का 55

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों की संख्या में लागातार वृद्धि हो रही है, जिसका कारण न्यायालय में मामलों के दर्ज होने और उनके अंतिम निपटारे के बीच लगातार बना रहने वाला अंतर है । तारीख 1 जनवरी, 2026 तक, उच्चतम न्यायालय में 92,101 मामले लंबित थे । वर्ष 2019 से 34 न्यायाधीशों की लगभग पूरी स्वीकृत संख्या के साथ काम करने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2025 में निपटाए गए 65,615 मामलों की तुलना में 75,410 नए मामले दर्ज किए । मामलों के दर्ज होने और उनके अंतिम निपटारे, विशेष रूप से पुराने लंबित मामलों और बड़ी पीठों (बेंचों) द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता वाले मामलों के बीच लगातार एक अंतर बना हुआ है, जो कार्यसूची के प्रबंधन की निरंतर चुनौती को रेखांकित करता है ।

2. उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के बकाया (बैकलॉग) से निपटने के लिए न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना सबसे तात्कालिक और व्यावहारिक समाधानों में से एक है । इससे भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए नियमित आधार पर पर्याप्त कानूनी प्रश्नों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अपेक्षित दिनों की अवधि हेतु संवैधानिक पीठों का गठन करना भी संभव हो जाएगा ।

3. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 द्वारा उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का अध्यादेश सं. 1) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास है, ताकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान तैंतीस से बढ़ाकर सैंतीस किया जा सके ।

4. यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है ।

नई दिल्ली;
15 जुलाई, 2026

अर्जुन राम मेघवाल

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या को तैंतीस से बढ़ाकर सैंतीस (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने के लिए है । इससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चार अतिरिक्त पदों सहित अपेक्षित कर्मचारीवृंद के सृजन पर वेतन तथा भत्तों के कारण व्यय में वृद्धि होगी । न्यायाधीश किराया मुक्त अधिकारिक निवास का उपयोग करने के भी हकदार होंगे । प्रत्येक न्यायाधीश को निवास तथा कार्यालय पर निजी कर्मचारीवृंद उपलब्ध करवाए जाने होंगे । न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा की तैनाती के संबंध में भी व्यय उपगत होगा ।

2. चार न्यायाधीशों और उनके कर्मचारीवृंद के वेतन, प्रवहण भत्ता और अन्य प्रकीर्ण व्ययों पर प्राक्कलित आवर्ती व्यय 10,56,81,648 रुपये प्रतिवर्ष होगा तथा कार और अधिकारिक निवास की साज-सज्जा और अन्य प्रकीर्ण व्ययों पर अनावर्ती व्यय लगभग 3,47,36,000 रुपये होगा । इस प्रकार, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के चार अतिरिक्त पदों के सृजन पर कुल व्यय लगभग 14,04,17,648 रुपये होगा । भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के चार अतिरिक्त पदों के सृजन पर विद्यमान कानूनी उपबंधों के अधीन यथालागू उपगत अन्य आवर्ती और अनावर्ती व्यय किए जाएंगे ।

3. विधेयक, यदि अधिनियमित होता है तो इसमें कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित होना संभाव्य नहीं है ।

उपाबंध

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 55) से उद्धरण

* * * * * *

2. भारत के मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तैंतीस होगी ।

मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या।

* * * * * *